







मिनी ग्रिड नीति उत्तर प्रदेश 2016

1. प्रस्तावनाः

विद्युत शक्ति और उसकी सुगम उपलब्धता, विकास का स्थापित बेंचमार्क है तथा चहुंमुखी समृद्धि के लिए प्रारम्भिक आवश्यकता है। विद्युत के पर्याप्त और विश्वसनीय स्नोत की उपलब्धता के बिना कोई भी मुख्य कियाकलाए संभव नहीं है।

पारम्परिक ऊर्जा के स्नोतों का तेजी से ह्नास हो रहा है तथा इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होने के बढ़ते हुये खतरे के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के समक्ष ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के साथ, ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऊर्जा मिश्रण में अपारम्परिक ऊर्जा स्नोतों की भागीदारी को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है।

उत्तर प्रदेश राज्य में सौर ऊर्जा एवं बायो/बायोमास ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इसके दोहन की अपार संभावनायें हैं और उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता हेतु इन स्नोतों के दोहन के लिये विद्युत पिरयोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत है। प्रदेश में यद्यपि कुछ ही सेन्सेस ग्राम अविद्युतीकृत हैं परन्तु बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 02 करोड़ घर विद्युतीकरण से वंचित है जिसे मिनी ग्रिड के माध्यम से स्थानीय रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्नोतों से विद्युत ऊर्जा उत्पादित कर विकेन्द्रीकृत रूप से उस क्षेत्र को विद्युतीकृत कर ऊर्जा जैसी महति आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक व्यापक नीतिगत ढ़ांचे का होना नितांत आवश्यक है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिनी ग्रिड नीति-2016 घोषित एवं अंगीकृत की जानी है, जो निम्नवत है:-

2. उदुदेश्य:

- राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के विकेन्द्रीकृत उत्पादन को अक्षय ऊर्जा यथा ; सौर, बायोमास एवं बायोगैस ऊर्जा आदि के दोहन के माध्यम से बढ़ावा देना।
- 2. अक्षय ऊर्जा से विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी निवेश की भागीदारी को बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण सृजन करना।
- 3. प्रदेश के लगभग 02 करोड़ अविद्युतीकृत घरों मे से अधिकतम को न्यूनतम मूलभूत सुविधा यथा ; रात्रि-प्रकाश, पंखा, मोबाइल-चार्जिंग, मनोरंजन आदि हेतु सुनिश्चित विद्युत ऊर्जा प्रदान किया जाना।
- 4. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता वर्तमान में कम होने के कारण लम्बी दूरी की विद्युत वितरण लाइनों को विकसित करने पर होने वाले व्यय तथा विद्युत लाइनों में होने वाली विद्युत ह्रास को कम करना।
- 5. जन साधारण में पर्यावरण जागरूकता का विस्तार करना।
- 6. स्थानीय रूप से कौशल वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों को सृजित करना।
- 7. स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं को प्रोत्साहित करना तथा पिछड़े क्षेत्रों का समाजिक आर्थिक विकास करना।
- 8. राज्य में नयी प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभावी प्रबंधन के लिये क्षमता का विकास करना।

- 9. बड़ी संख्या में परम्परागत ग्रिड से वंचित घरेलू, कृषि एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को स्वच्छ व सतत् (ससटेनेबुल) विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना।
- 10. जीवाष्म ईधन की खपत में कमी लाना।

3. कार्यक्षेत्रः

अविद्युतीकृत बसावटों / मजरों एवं उनसे जुड़ी परन्तु परम्परागत ग्रिड से वंचित अथवा अपेक्षाकृत कम आपूर्ति के अविकसित एवं पिछड़े ग्रामीण / नगरीय क्षेत्रों में मिनी ग्रिड परियोजनाओं की स्थापना की जा सकेगी।

4. संचालन अवधि:

यह मिनी ग्रिड ऊर्जा नीति जारी होने की तिथि से 10 वर्ष तक प्रभावी होगी एवं जब-जब आवश्यकता समझी जायेगी तब-तब नीति में वांछित संशोधन किया जायेगा। नीति के संचालन अविध में स्वीकृत परियोजनायें ही नीति में प्राविधानित लाभ की पात्र होंगी।

5. मिनी ग्रिड परियोजनायें:

5.1 परियोजना क्षमताः प्रदेश में अधिक से अधिक अविद्युतीकृत तथा अधिकतम मॉग के घंटों में बिजली की अनुपलब्धता वाले ग्रामों /बसावटों /मजरों तथा घरों को विद्युतीकृत किये जाने के दृष्टिगत अधिकतम 500 कि.वॉट क्षमता की परियोजनायें स्थापित की जा सकेगी।

6. क्रियान्वयनः

प्रदेश में निजी विकासकर्ताओं द्वारा मिनी ग्रिड परियोजनाओं की स्थापना बिना अनुदान के कराई जा रही हैं परन्तु ग्रामीण अंचलों के दूरस्थ अविद्युतिकृत ग्रामों जहाँ आधारभूत सुविधाओं का अभाव है तथा जो आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है, हेतु राज्य सरकार के अनुदान की आवश्यकता होगी अतः मिनी ग्रिड परियोजनायें निम्न दो प्रकार से स्थापित कराई जा सकती हैं:-

6.1 राज्य सरकार के अनुदान के साथः

- 6.1.1 यूपीनेडा/राज्य सरकार द्वारा चिन्हित ग्रामों/मज़रों में परियोजनाओं का निर्माण विकासकर्ताओं से कराया जायेगा।
- 6.1.2 राज्य सरकार से उपलब्ध बजट के अनुसार परियोजनाओं का निर्माण किया जायेगा तथा परियोजना पर 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जायेगा।
- 6.1.3 परियोजनाओं का निर्माण, स्वामित्व, संचालन एवँ रखरखाव (बिल्ट ऑन आपरेटर एण्ड मेन्टेन) "cwe" आधार पर कराया जायेगा तथा विकासकर्ता द्वारा 10 वर्ष तक रख-रखाव एवं संचालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
- 6.1.4 आदर्श बोली दस्तावेज (standard bidding document) के माध्यम से वीजीएफ के मानक निर्धारित कर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

6.1.5 प्रतिबन्धः

- 6.1.5.1 स्वीकृत परियोजनाओं में भूमि की व्यवस्था विकासकर्ताओं द्वारा की जायेगी।
- 6.1.5.2 परियोजना से क्षेत्र के समस्त इच्छुक उपभोक्ताओं को घरेलू उपयोग हेतु मॉग के अनुसार प्रातः 3 घंटे एवं रात्रि में 5 घंटे कुल कम से कम 8 घण्टे प्रतिदिन विद्यंत ऊर्जा प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- 6.1.5.3 क्षेत्र के अन्य समस्त इच्छुक उत्पादक एवं वाणिज्यक उपभोक्ताओं को 6 घंटे प्रतिदिन आवश्यकतानुसार ऊर्जा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 6.1.5.4 अवशेष ऊर्जा विकासकर्ता द्वारा अन्य उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा सकती है।
- 6.1.5.5 विद्युत टैरिफ: उपयोगकर्ताओं से प्रतिदिन 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए 50 वॉट प्रति माह के लोड हेतु रु. 60/-प्रति माह एवं 100 वॉट तक रु. 120/- प्रति माह तथा 100 वॉट से अधिक लोड पर विकासकर्ता एवं उपयोगकर्ता की आपसी सहमति द्वारा निर्धारित विद्युत टैरिफ प्राप्त किया जायेगा।
- 6.1.5.6 विकासकर्ता द्वारा विद्युत वितरण प्रणाली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार तथा ऊर्जा सुरक्षा एवं संरक्षा के मानकों के अनुसार उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की विद्युत प्रणाली के समरूप बनायी जायेगी।
- 6.1.5.7 विकासकर्ता को अन्य अवस्थापना सहायता सम्बन्धी तथा औद्योगिक नीति में प्राविधानित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

6.2 विकासकर्ता द्वारा स्वयं की चिन्हित परियोजनाएं बिना अनुदान केः

विकासकर्ता द्वारा स्वयं की चिन्हित परियोजनाओं के लिए अनुदान उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा स्वयं की भूमि एवं वित्तीय व्यवस्था का प्रबन्ध कर मिनी ग्रिड परियोजनाओं की स्थापना की जायेगी।

6.2.1 उत्पादित ऊर्जा का वितरणः

विकासकर्ता द्वारा इच्छुक परिवारों को घरेलू उपयोग, कृषिकार्य तथा लघु वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा ; आटा-चक्की, दुकानों, स्कूलों, अस्पतालों, टेलीफोन टावरों, पेट्रोल-पम्पों आदि को ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी।

- 6.2.2 विकासकर्ता द्वारा ऊर्जा वितरण प्रतिबन्धित नहीं होगा।
- 6.2.3 विद्युत टैरिफः उपयोगकर्ताओं से आपसी सहमति के आधार पर विद्युत टैरिफ प्राप्त किये जाने की छूट होगी।
- 6.2.4 बिना अनुदान की परियोजनाओं को भी अन्य अवस्थापना सहायता सम्बन्धी, औद्योगिक नीति में प्राविधानित सुविधाओं तथा परम्परागत ग्रिड के पहुँचने की दशा में निकास की प्रक्रिया का लाभ प्राप्त होगा।

7. परियोजना स्थलों के ग्रामों /मज़रों में परम्परागत ग्रिड पहुँचने पर निकास की प्रक्रियाः

स्थापित परियोजनाओं से आच्छादित ग्रामों /मज़रों में परम्परागत ग्रिड के पहुँचने पर स्थापित संयत्र को सेंज उपसम infrastructure मानते हुये दो प्रकार से निकास की प्रक्रिया होगी।

- 7.1 डिस्काम द्वारा उत्तर प्रदेश नियामक आयोग से निर्धारित टैरिफ/आपसी सहमित से निर्धारित टैरिफ पर संयत्र से उत्पादित ऊर्जा ग्रिड में प्राप्त की जा सकेगी तथा डिस्काम द्वारा उस क्षेत्र विशेष में विकासकर्ता को फ्रेन्चाइजी के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु वरीयता दी जायेगी।
- 7.2 विकासकर्ता द्वारा स्थापित परियोजना की लागत/लाभ हानि का ऑकलन करते हुये डिस्काम एवं विकासकर्ता की आपसी सहमति पर तय मूल्य पर परियोजना डिस्काम को हस्तानान्तिरित की जायेगी।

8. मिनी ग्रिड परियोजना की कार्यान्वयन समयावधिः

सौर ऊर्जा से संचालित स्वीकृत परियोजनायें ६ माह, बायोमास/बायोगैस से संचालित परियोजनायें 9 माह, पवन ऊर्जा एवं लघु जल विद्युत से संचालित परियोजनायें 9 वर्ष में पूर्ण की जानी होगीं, वास्तविक/अकृत्रिम कारणों से विभिन्न स्तरों से अधिकतम 6 माह की समय वृद्धि प्रदान की जा सकेगी।

9. जीवाष्म ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंधः

सोलर थर्मल परियोजनाओं में कोई भी जीवाष्म ईंधन अर्थात कोयला, गैस, लिग्नाइट, मिट्टी का तेल, लकड़ी आदि की अनुमित नहीं होगी। बायोमास परियोजनाओं पर भारत सरकार के मानकों के अनुरूप अनुमन्य जीवाष्म ईंधनों का प्रयोग किया जा सकेगा। सोलर फोटोवोल्टाइक प्लाण्टों में सूर्य की रोशनी न उपलब्ध होने की दशा में बैटरी बैंक की चार्जिंग आदि के लिये जनसैट का उपयोग किया जा सकेगा परन्तु पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. परियोजना का संचालनः

विकासकर्ताओं /कोआपरेटिव संस्थाओं /सामुदायिक संस्थाओं के पास पर्याप्त तकनीकी कुशल मैन-पावर का होना आवश्यक है जो भारत सरकार एवँ राज्य सरकार के मानकों एवँ विशिष्टियों के अनुसार परियोजनाओं का निर्माण संचालन, रखरखाव तथा प्रशिक्षण सुनिश्चित कर सकें।

11. एकल विण्डो क्लिरियेन्सः

समस्त मिनी ग्रिंड परियोजनाओं के लिये एकल विण्डो क्लियरेन्स के रूप में यूपीनेडा नोडल एजेन्सी का कार्य करेगी जिसमें वांछित शासनादेशों, आवश्यक स्वीकृतियां/अनुमितयां, अनापित, अनुमोदन, सहमित आदि का कार्य समयबद्ध रूप से कराया जाना सम्मिलित होगा।

12. नोडल एजेन्सी की भूमिकाः

नीति के उद्देश्यों के अनुरूप यूपीनेडा द्वारा परियोजना विकासकर्ताओं की सहायता हेतु निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी:-

12.1 अन्य अवस्थापना सहायताः

राईट आफ वे, यदि कोई हो, जल आपूर्ति एवं सम्बन्धित अवस्थापना जैसे सड़क, विद्युत लाईन अथवा अन्य यथा वांछित सुविधाओं हेतु सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा प्रदान करायी जायेगी।

12.2 प्रशिक्षणः

उपयोगकताओं, मिनी ग्रिड परियोजनाओं के संचालन कर्ताओं एवं अन्य सम्बन्धित को प्रशिक्षण, सम्बन्धित संस्थाओं के साथ गठबंधन कर उपयुक्त मानव शक्ति कौशल का विकास।

- 12.3 राज्य सरकार के अनुदान के साथ स्थापित परियोजनाओं में 50 कि वॉट क्षमता से अधिक की परियोजनाओं की ऑन-लाइन मॉनीटरिंग की व्यवस्था त्रैमासिक क्रियाशीलता रिपोर्ट के अतिरिक्त सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।
- 12.4 स्वीकृत परियोजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक नीति, 2012 में सौर ऊर्जा अथवा अक्षय ऊर्जा से संचालित उद्योगों के लिये भू उपयोग, पर्यावरण एवं स्टैम्प डयूट आदि संबंधी दी गयी छूट प्रदत्त होगी।
- 12.5 स्वीकृत परियोजनाएं बिजली शुल्क से मुक्त होगीं।

13. अनुश्रवणः

उत्तर प्रदेश शासन, अतिरिक्त ऊर्जा स्मेत विभाग, यूपीनेडा द्वारा परियोजनाओं का अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

13.1 उच्च स्तरीय समितिः

इस नीति में उत्पन्न विभिन्न प्रकरणों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जायेगा। समिति के निम्न सदस्य होंगे:-

मुख्य सचिव	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	सदस्य
सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	सदस्य
सचिव /प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
सचिव /प्रमुख सचिव, उद्योग	सदस्य
सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, संबंधित डिस्काम	सदस्य
निदेशक, यूपीनेडा	सदस्य सचिव

13.2 बैठकों की आवृत्तिः

समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर एवं जब भी आवश्यक हो आयोजित की जायेगी।

13.3 उच्च स्तरीय समिति के कार्यः

समिति द्वारा निम्न प्रकरणों पर विचार एवं निर्णय किया जायेगा।

13.3.1 परियोजनाओं हेतु लक्ष्यों एवं अनुदान की अनुमितः

मिनी ग्रिड परियोजनाओं के वर्षवार लक्ष्यों एवं अनुदान राशि को अनुमोदन प्रदान करना।

13.3.2 एकल खिड़की का अनुश्रवणः

एकल खिड़की प्रणाली के कार्यो का अनुश्रवण।

13.3.3 समन्वयः

समय-समय पर आने वाले अन्य अन्तरविभागीय प्रकरणों का समाधान।

13.3.4 अन्यः

अन्य कोई प्रासंगिक विषय।

14. मंत्री परिषद द्वारा नीति में समय-समय पर वॉछित एवं आवश्यक बदलावों हेतु माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया जायेगा।



MINI GRID POLICY UTTAR PRADESH 2016

1. PREAMBLE

Electric power and its easy availability is an established benchmark of development and an essential prerequisite for prosperity. No major economic activity can be sustained without adequate and reliable source of power.

In view of the fact that the conventional sources of energy are fast depleting and pose a threat of environment pollution too, the challenge before the State Government is not only to meet the ever growing demand for power but also to progressively increase the share of renewable energy sources in the power-mix so as to achieve overall energy security

The State of Uttar Pradesh is endowed with vast potential of solar and bio/biomass power and the Government is making efforts to tap these resources to improve the availability of power in the State by promoting renewable power projects. As a result of sustained efforts made under the rural electrification programme, only a few census villages remain unelectrified in the State. However, a large number of rural households are still deprived of electricity. Such households can be electrified through mini-grid from locally available renewable energy sources by decentralised power generation. A comprehensive policy framework is an imperative requirement to realize this goal. Therefore, the Government of Uttar Pradesh adopts and announces the Mini-grid Policy-2016 as under:

2. Objectives:

- 1. To promote decentralized generation of clean & green power by harnessing renewable energy e.g. Solar, Biomass etc in the State.
- 2. To put in place a conducive investment climate to stimulate private sector participation in decentralized generation of renewable power.
- 3. To provide ensured power supply to nearly 02 crore households in the State to meet the minimum household needs of power e.g. lighting, fan, mobile charging etc.
- 4. To reduce the investments required for development of long distance transmission lines and to reduce the line losses in power transmission resulting due to commonly low demand of electrical power in rural areas.
- 5. To spread environmental awareness among the general public.
- 6. To enhance skills and create employment opportunities at local level.
- 7. To promote establishment of local manufacturing facilities and socio-economic development of backward areas.

- 8. To build capacity in the State to initiate and sustain, use and effective management of newer technologies.
- 9. To make available clean and sustainable electrical power to large number of domestic, agriculture and commercial establishments which are deprived of conventional grid.
- 10. To reduce the consumption of fossil fuels.

3. Area of Operation

Mini-Grid projects shall be installed in un-electrified habitations/hamlets and in contiguous undeveloped and backward rural/urban areas deprived of conventional grid or with relatively less supply of electricity.

4. Operative Period

This Mini-Grid Power policy shall come into effect from date of its issuance and shall remain valid until superseded or modified for a period of 10 years whichever is earlier. Mini grid projects approved during the operative period alone shall be eligible for incentives declared under this policy.

5. Mini Grid Projects

5.1 Project Capacity:

Mini-Grid Projects of maximum capacity 500 kW shall be installed to electrify the households of villages/ habitations/ hamlets which are un-electrified or are having unavailability of power in peak demand hours.

6. Implementation Plan

Presently, private developers are setting up mini grid power projects in the State without the State subsidy. However, the implementation of such projects in the remote and economically weaker areas having poor infrastructural facilities, would need the support of the State subsidy. Therefore, the Mini-Grid Power Policy envisages the implementation of the Mini-Grid Projects in the following manners -

6.1 With State Government subsidy:

- 6.1.1 Project shall be installed in villages/Majras identified by UPNEDA/State Govt through the private developers.
- 6.1.2 As per the budget available from State govt. projects shall be installed and 30 % subsidy shall be provided.
- 6.1.3 Projects shall be established on Built Own Operate & Maintain (BOOM) basis and 10

years mandatory operation & maintenance shall be done by the developer.

6.1.4 Subsidy shall be provided by determination of VGF standard through Standard Bidding Document.

6.1.5 Restrictions:

- 6.1.5.1 The Land will be arranged by the Developers for the sanctioned Projects.
- 6.1.5.2 Mandatory daily 3 hours in the morning and 5 hours in the evening total at least 8 hours supply of electricity to all willing houses in the project area, as per their domestic demand.
- 6.1.5.3 Daily 6 hours supply of electricity for other production and commercial needs.
- 6.1.5.4 Remaining energy may be supplied to the other consumers by the developers.
- 6.1.5.5 Electricity Tariff: Developer will charge Rs. 60/- per month for load of 50 Watt, Rs. 120/- per month for load up to 100 Watt for 8 hours of daily electricity supply and for the load more than 100 Watt tariff will be on mutual consent between consumers and developer..
- 6.1.5.6 Developer shall make the Electricity Distribution system as per the guidelines of Central Electricity Authority and UPPCL and Electrical safety & Security standards.
- 6.1.5.7 Developer shall get the benefits of incentives provided in Industrial Policy to other Infrastructural related support.

6.2 Self identified Projects by the Developers without State Govt subsidy:

No subsidy shall be provided on the Self identified Projects by the developers. Developer shall manage the arrangement of self owned land finance for establishment mini grid projects.

6.2.1 Distribution of generated energy:

Developer shall fulfil the energy needs for domestic use of willing families, agriculture works and small commercial establishments e.g. flour mills, shops, schools, hospitals, telephone towers, petrol pumps etc.

- 6.2.2 Distribution of energy by the developer will not be restricted.
- 6.2.3 Electricity Tariff:
 - Developer will be allowed to charge tariff from consumers on mutual consent basis.
- 6.2.4 Projectswithout subsidy shall also be eligible for the benefits of other Infrastructural

related support, incentives provided in Industrial Policy and exit process in case of conventional grid access.

7.0 Exit process on the access of conventional grid in the villages/majras of the project.

The villages covered under the installed project shall be considered as last mile stone infrastructure and on the access of conventional grid following two exit procedures will be followed:

- 7.1 The energy generated from the plant will be received in the grid by DISCOM at the tariff decided by Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission/ tariff decided on mutual consent. Project developer will be given priority for authorisation as a franchisee by Discom
- 7.2 Based on the cost benefit analysis of the installed project, the project will be transferred to the DISCOM at the cost determined on mutual consent between DISCOM and developer by the estimation of cost / profit loss of the project installed by the developer.

8. Period of implementation of Mini Grid Projects:

The sanctioned projects based on solar energy shall be completed within 6 months, Biomass /Biogas based projects within 9 months, wind energy and small hydro power projects within 01 year. 6 months time extension may be granted for delay due to actual/natural reasons at various levels.

9. Restrictions for the use of of fossil fuel:

Use of fossil fuel e.g. coal, gas, lignite, Kerosene, wood etc shall be prohibited in solar thermal based projects. In Biomass based projects use of fossil fuel will be permissible as per the standard of Govt. of India. In absence of requisite solar energy, the Genset can be used to charge the battery bank etc in Solar Photovoltaic Plants. However compliance of environmental standards shall be ensured.

10. Operation of Projects:

Developers/ Cooperative institutions/Community institutions will have sufficient technical skilled man power to ensure the installation, operation & maintenance of project and impart training as per the standards and specifications of State Govt. and Govt of India.

11. Single Window Clearance:

UPNEDA will act as the Nodal Agency for Single window clearance for all Mini Grid

Projects which include the task related to issuance and facilitation of desired Government orders, necessary sanctions/permissions, clearances, approvals, consent etc. in a time bound manner.

12. Role of Nodal Agency:

As per the objective of the policy, UPNEDA will provide following facilities for assistance to the project developers:

12.1 Other Infrastructure support:

Right of way if any, water supply and related infrastructure e.g. road, transmission lines or other facility will be provided by the District Magistrates of concerned districts.

12.2 Training:

Training of Users, operators of minigrid projects and other concerned, development of appropriate skilled man power by tying up with the concerned institution.

- 12.3 To ensure the online monitoring with facility of quarterly functionality report for the projects which are greater than 50 kW capacity and installed with Government subsidy.
- 12.4 Land use, environment and stamp duty related incentives will be provided to for the sanctioned projects under Uttar Pradesh State Industrial Policy, 2012 of industries based on solar energy or renewable energy.

13. Monitoring:

Govt. of Uttar Pradesh, Department of Additional Energy Sources, UPNEDA shall ensure the monitoring of the projects.

13.1 High Level Committee

To oversee, monitor and resolve various issues arising out of this policy, an High Level Committee will be constituted under the chairmanship of the Chief Secretary of the State. The committee will have the following members:-

Chief Secretary - Chairman

Infrastructure & Industrial Development Commissioner - Member

Secretary / Principal Secretary, Additional Energy Sources - Member

Secretary / Principal Secretary, Finance - Member

Secretary / Principal Secretary, Planning - Member

Secretary / Principal Secretary, Industry - Member

Secretary / Principal Secretary, Revenue - Member

Secretary / Principal Secretary, Energy - Member

Managing Director, UPPCL - Member

Managing Director, UPPTCL - Member

Managing Director, Concerned DISCOM - Member

Director, UPNEDA - Member Secretary

13.2 FREQUENCY OF MEETINGS

The committee shall meet on a quarterly basis and also as and when required.

13.3 Functions of the High Level Committee

The committee will deliberate and decide on the following issues-

13.3.1 Permission of Targets and Subsidy for Projects:

Granting Approval of Annual Targets and subsidy amount for Mini-grid Projects.

13.3.2 Monitoring of single window:

Monitoring of working of single window system.

13.3.3 Coordination:


Resolve any other Inter departmental issues that may arise from time to time.

13.3.4 Other

Any other relevant matter.









U.P NEW AND RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY

(Department of Additional Sources of Energy, Government of Uttar Pradesh)

Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010 Phone: 0522-2720652-2720829

Website: http://neda.up.nic.in Toll Free No.: 1800 1800 005